

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक :स. 3-5(2)स्था / मंत्रा / अभि / 2023 / 287-350

जयपुर, दिनांक:- 24.01.2025

आदेश


अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक आदेश 11-160 दिनांक 10.01.2025 द्वारा मंत्रालयिक अधिकारी / कर्मचारीगण के स्थानान्तरण किए गए हैं। उक्त आदेश में क्रम संख्या 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 35, 36, 37, 44, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 71, 75, 78 एवं 80 पर अंकित स्थानान्तरण स्वेच्छिक है। इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

इसी प्रकार अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक आदेश 201-80 दिनांक 15.01.2025 द्वारा मंत्रालयिक अधिकारी / कर्मचारीगण के स्थानान्तरण आदेश में क्रम संख्या 3, 4, 6, 7, 10, 14, 16, 22, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 39 एवं 40 पर अंकित स्थानान्तरण स्वेच्छिक है। इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।


(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन. न्याय / अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त / उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित कर्मचारी -----।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक) / विधि शाखा / गोपनीय शाखा / लेखा शाखा।
7. निजी / रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन.
राजस्थान, जयपुर